न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार , आर.जे.एस.
जिला न्यायाधीश संवर्ग

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 111/2026

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 11/2026, आरक्षी केन्द्र पचपदरा

CNR : **RJBA**010004832026

किशोर पुत्र महेन्द्र चौधरी, उम्र 29 वर्ष, निवासी पारलु, पुलिस थाना जसोल, जिला बालोतरा ।

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य।

– अप्रार्थी

जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 11/2026, पुलिस थाना पचपदरा, अपराध अंतर्गत धारा 351(2)(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व 67, 67(ए) आईटी एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री कौशल कुमार, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।
2. श्री सचिन सिंह, विद्वान अधिवक्ता परिवादिया की ओर से ।
3. विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

–– आदेश ––

दिनांक : 13.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । नकल लोक अभियोजक को दिलवायी जाकर अनुसंधान पत्रावली तलब की गयी । अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया और बहस जमानत सुनी ।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे संदेह के आधार पर झूँठा संलिप्त किया है । प्रार्थी ने कोई फोटो एडिट कर वायरल नहीं की है ।
3. यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी एवं परिवादिया के मध्य राजीनामा भी हो गया है । प्रार्थी दिनांक 09.03.2026 से अभिरक्षा में है । पूर्व का कोई प्रकरण दर्ज या लंबित नहीं है । आरोपित अपराध प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध से संबंधित है । प्रकरण

के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया ।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत SB.Cri.Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त किशोर का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया हैः–

क्र.सं.	मुकदमा नं. व धारा	चालान दिनांक	न्यायालय आदेश
–	–	–	–

6. उभय पक्षकारान की ओर से दिये गये तर्कों को सुना एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी के विरुद्व परिवादिया व उसकी बहन के फोटो एडिट कर इंस्टाग्राम पर वायरल करने के अपराध का आरोप है । अनुसंधान पत्रावली एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व कोई प्रकरण दर्ज या लंबित होना नहीं बताया गया है । परिवादिया के अधिवक्ता ने प्रकरण में राजीनामा भी होना बताया है यद्यपि आरोपित अपराध काबिले राजीनामा नहीं है परन्तु इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आरोपित अपराध मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है । पूर्व का कोई प्रकरण दर्ज या लंबित नहीं है तथा प्रार्थी दिनांक 09.03.2026 से अभिरक्षा में है । प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है । अतः इन तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

–:: आदेश ::–

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त किशोर की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उपस्थिति बाबत् पच्चीस हजार रुपये का स्वयं का मुचलका एवं पच्चीस हजार रुपये की मोतबीर जमानत अधिनस्थ न्यायालय के सन्तोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दी जाए, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

8. आदेश आज दिनांक 13.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

GOVIND SHANKER KIRADOO

Steno Gr. III "Authenticate document" Digitally signed by GOVIND SHANKER KIRADOO Date: 2026.03.16 10:18:08 +0530